न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–100/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/100)

1. मानसिंह पुत्र स्व0 श्री कालूराम आयु 47 वर्ष
2. सुशीला पुत्री स्व0 श्री कालूराम आयु 44 वर्ष
3. मैना पुत्री स्व0 श्री कालूराम
4. मीरा पत्नी पप्पूलाल आयु 38 वर्ष
5. दिनेश पुत्र पप्पूलाल आयु 23 वर्ष
6. पूजा पुत्री पप्पूलाल आयु 21 वर्ष
7. सुनिता पुत्री पप्पूलाल नाबालिक प्राकृतिक विधिक वारिसान जरिए मीरा
8. अंकित पुत्र पप्पूलाल आयु 13 वर्ष नाबालिक जरिए विधिक वारिसान जरिए मीरा समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटग

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2025 राजस्व वाद संख्या 137/2021.

उपस्थितः–

1. श्री गौतमचंद टांक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः–30.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 137/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामसर पटवार क्षेत्र रामसर के चौसाला खसरा संख्या 5958 के वर्किंग खसरा नम्बर 7787 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 10 बीस्वांसी के हाल खसरा नम्बर 6901 रकबा 0.30 की आराजी वादीगण के वर्तमान अपीलांट पूर्वज कालूराम पुत्र चन्द्रा को दिनांक 18.12.1975 का आवंटन से प्राप्त हुई थी। उक्त आवंटन का अंकन वर्किंग जमाबंदी में किया गया तब से ही वर्तमान अपीलांटगण/पूर्वज उक्त आराजी मुतनाजा पर तभी से कब्जा काश्त चला आ रहा है हाल ही में राजस्व अभिलेख में राजस्व ऐजेन्सी द्वारा विवादग्रस्त आराजी मुतनाजा को त्रुटिपूर्ण सिवायचक अंकित कर दी गई तत्पश्चात वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया दावा दर्ज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा आवंटनशुदा खातेदारी काश्तकार आराजीयात का दावा अस्वीकार कर दिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 137/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2025 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दावा दायर करते समय समस्तर राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किये थे जिसमें वादग्रस्त आराजीयात में कालूराम के वारिसानगण, वादीगण की एवं उसके पूर्वजों की पुश्तैनी खातेदार काश्तकारी भूमि ग्राम रामसर द्वितीय भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के चौसाला खसरा नंबर 5958 तथा वर्किंग जमाबंदी खसरा नवंर 7787 रकबा 1–16–10 बिस्वा खसरा नंबर हाल 6901 रकबा 1.30 जिसमें यह बताया कि उपरोक्त आराजीयात जिसके चौसाला खसरा नंबर 5958 रकबा 1–16–10 बीघा जो स्वंय व वादीगण के पूर्वज कालराम पुत्र चन्द्रा को दिनांक 18.12.1975 को जरिये आवंटन प्राप्त हुई थी जिसका अंकन वर्किंग जमाबंदी सवंत् 2040 से 2041 के बने नवीन खसरा नंबर 7787 में अंकित किया तथा आवंटन से ही वर्तमान अपीलार्थीगण व उनके पूर्वज का कब्जा काश्त था। आज भी लगातार कब्जा काश्त निहित है। किन्तु उक्त भूमि खसरा नंबर 6901 रकबा 0.30 को गलत रूप से आवंटित आराजीयात को सिवायचक दर्ज कर दिया तथा उक्त समर्थन में विचारण न्यायालय में आवंटन आदेश प्रदर्श किये तथा जमांबदी संवत् 2069 से 2075 प्रदर्श दो किये, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श तीन किये तथा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श चार किये तथा जमांबदी संवत् 2059 से 2078 प्रदर्श पांच किये तथा कब्जा काश्त के आधार पर खसरा गिरदावरी प्रदर्श छः व सात किये। उक्त आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा मानसिंह स्वंय ने उपस्थित होकर सह शपथ अपने बयान विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर दिये तथा इन सभी राजस्व दस्तावेजों का सत्य होना स्वीकार किया फिर भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद अपने आदेश दिनांक 13.1.2025 में वर्तमान अपीलार्थीगण के दावें को सरसरी तौर पर ही यह कहते हुए अस्वीकार फरमा दिया जाता है कि अधिकार अभिलेख जमाबंदी मे खातेदारी का नोट अंकित नही किया गया है जबकि मूल रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष आवंटन लेटर तथा उस आवंटन लेटर के आधार पर तहसीलदार, नसीराबाद का जवाब जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि जिसकी बिन्दु संख्या 2 है कि यह सही है कि वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा नंबर 7787 रकबा 1–16–10 बीघा कालू पुत्र चन्दा को अलॉट का अंकन दर्ज है तथा संलग्न आवंटन आदेश दिनांक 18.12.1975 से कालूराम पुत्र चन्दा रेगर को आवंटन होना भी अंकन है। यानि की जब नियमानुसार ही वर्तमान अपीलार्थीगण के पूर्वजों का विवादग्रस्त आराजीयात का गैर खातेदारी में अंकन होना तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा स्वीकार किया जा रहा है उस आधार पर ही विचारण न्यायालय को गैर खातेदारी से खातेदारी का अंकन किये जाने हेतु ही वर्तमान अपीलार्थीगण ने निवेदन किया था तथा उक्त राजस्व रिकॉर्ड में गलत त्रुटि जो राजस्व ऐजेन्सी द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात में सिवायचक दर्ज कर दी गई थी उसे डिलीट कर वर्तमान अपीलार्थीगण के पक्ष में उक्त आवंटन आदेश के आधार पर खातेदारी का इन्द्राज किये जाने का दावा पेश किया था जिसमें समस्त विधिक दस्तावेज तथा आवंटन आदेश तथा खसरा गिरदावरियां तथा खसरा परर्वतनशील जिससे की वर्तमान अपीलार्थीगण के काश्त व कब्जे की प्रमाणिकता स्वंयमय साबित हो रही थी तथा राजस्व दस्तावेज भी रिकॉर्ड पर खातेदारी अधिकार के लिए स्वंयमय प्रमाणिकता के आधार थे। जिनको उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा नजरअंदाज कर वर्तमान अपीलार्थीगण का दावा अस्वीकार किया है जो कि उनकी भंयकर अवैधानिकता को दर्शाता है इस कारण से उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.1.2025 अपील के माध्यम से निरस्तनीय है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में विचारण न्यायालय ने जिस तरह से दावे को निर्णित किया है मात्र तनकी संख्या 1 में ही पूरे दावें का निर्णय कर दिया है तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 20 नियम 5 के अनुसार तनकीवार

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय पारित नहीं किया है उन्होनें अपने निर्णय को मात्र फैसल करने के हिसाब से निर्णय किया है जबकि उक्त प्रकरण में न्याय नहीं किया है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.1.2025 में यह कहा जा रहा है कि वादीगण द्वारा प्रकरण में स्वतंत्र गवाह के बयान भी नहीं कराये गये है जबकि विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्व न्यायालय में समस्त न्याय की मंशा राजस्व दस्तावेजों के आधार पर ही आधारित है और प्रकरण में समस्त खातेदारी अधिकार के संबध में समस्त दस्तावेज वर्तमान अपीलार्थीगण के पक्ष में थे तथा रिकॉर्ड पर थे तथा बयानों में मानसिंह ने स्वंय ने उपस्थित होकर बयान करवायें है। जब समस्त राजस्व दस्तावेज जिसमें खसरा गिरदावरियां संवत् 2069 से 2078 तथा 2055 से 2058 में कालू पुत्र चन्दा रेगर का नाम आ रहा है तथा इस आधार को भी तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा अपने जवाब संख्य 3 मे संलग्न खसरा गिरदावरी सवत् 2031 से 2034 व सवत् 2055 से 2058 में कालू पुत्र चन्दा रेगर का अंकन स्वीकार किया जा रहा है फिर भी उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा तहसीलदार के जवाब को भी दरकिनार कर तथा राजस्व ऐजेन्सी के खसरा गिरदावरियों को भी दरकिनार कर तथा आवंटन आदेश को भी दरकिनार कर जो निर्णय डिक्री दिनांक 13.1.2025 को पारित की है जो कि कतई न्यायोचित नहीं होने के कारण अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.1.2025 में निर्णय देते हुए उसमें यह निर्णित किया है कि वादी द्वारा आवंटन के समर्थन में आवंटन पट्टा पेश किया है किन्तु उक्त आवंटन पत्र में वर्किंग खसरा नंबर में कांट–छांट की है। जिसमें कांट–छांट वर्तमान अपीलार्थीगण व उसके पूर्वजों द्वारा नहीं की गई है वो तो राजस्व ऐजेन्सी द्वारा ही आवंटन पत्र जारी होता है तब कमेटी के समक्ष पेश होता है कमेटी उस पर निर्णय लेती है तत्पश्चात ही आवंटन आदेश जारी होता है और आज जो वर्तमान में आवंटन आदेश न्यायालय के समक्ष पेश हुआ है व प्रमाणित व सत्य प्रति के साथ पेश हुआ है जिसमे कांट–छांट की कोई आंशका नहीं है, ना ही वर्तमान वादीगण के पूर्वज द्वारा कोई कांट–छांट नहीं की गई है फिर भी आज दिनांक में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा उसको कांट–छांट की संज्ञा देकर किसी की खातेदारी के दावे को अस्वीकार फरमाया जा रहा है जो कि कतई न्याय की मंशा नहीं है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के निर्णय डिक्री दिनांक 13.1.2025 में अपीलार्थीगण द्वारा पेश आवंटन आदेश दिनांक 18.12.1975 को यदा–कदा अतिक्रर्मी की हैसीयत से विचारण न्यायालय ने संज्ञा दी है तथा वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा पेश दावें को अतिकर्मी की हैसीयत से पेश दावे की संज्ञा दी है जो कि कतई राजस्व विधिक प्रावधानों में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आवंटित भूमि पर कोई कब्जा काश्त हो तो उसे बहैसीयत अतिकर्मी माना जावें। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण व उनके पूर्वजों को अतिकर्मी की हैसीयत से विवादग्रस्त आराजीयात पर काबिज माना है जो कि उनकी अनियमितता को दर्शाता है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.1.2025 नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है उन्होनें तमाम प्रकरण में मात्र एक तनकी संख्या 1 व 2 नंवर पर अनुतोष निर्धारत कर उसमें तमाम दावें का निर्णय कर दिया तथा वादीगण/अपीलार्थीगण के हक अधिकारों से सबंधित राजस्व दस्तावेजों व उसके आवटंन आदेश के संबध में कहीं पर भी अपनी फाइडिंग न्यायिक रूप से नहीं दी है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 137/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 7787 रकबा 1–16–00 कालू पुत्र चन्द्रा को आवंटन का अंकन दर्ज है। बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमानुसार सर्वे कार्यवाही कर भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया दावा दर्ज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनते हुए आवंटनशुदा खातेदारी काश्तकार आराजीयात का दावा अस्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर वर्तमान अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त आराजीयात ग्राम रामसर पटवार क्षेत्र रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 5958 के वर्किंग खसरा नम्बर 7787 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 10 बीस्वांसी के हाल खसरा नम्बर 6901 रकबा 0.30 की आराजी वादीगण के पूर्वज कालूराम पुत्र चन्द्रा को दिनांक 18.12.1975 को आवंटन से प्राप्त हुई थी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कहे गए कथनों के जवाब में राजकीय पैरोकार द्वारा जवाब में कथन किए कि ग्राम रामसर प0म0 रामसर भू0अ0क्षेत्र रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2069–2075 के खाता संख्या अनुसार सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या के अनुसार खसरा नम्बर 7787 रकबा 01–16–10 कालू पुत्र चन्द्रा को अलॉट का अंकन दर्ज है। संलग्न आवंटन आदेश 18/18/75 से कालूराम पुत्र चन्दा रेगर को सशर्त गैर खातेदार के रूप में आवंटन होना अंकन है। न्यायालय हाजा ने जब उभयपक्षों द्वारा कहे गए तथ्यों का परीक्षण किया गया तो पाया कि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में आवंटन पट्टा पेश किया गया है जो कि उक्त विवादित आराजीयात ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 5958 के वर्किंग खसरा नम्बर 7787 रकबा 1–16–10 के हाल खसरा नम्बर 6901 रकबा 0.30 की आराजी अपीलांट के पूर्वज कालूराम पुत्र चन्द्रा को दिनांक 18.12.1975 को आवंटन हुई है। किंतु उक्त आवंटन पत्र में अंकित खसरा नम्बर में कांट छांट किया जाना प्रतीत होता है चूंकि वर्किंग खसरा नम्बर 7787 रकबा 1–16–00 के आगे कालूराम पुत्र चन्द्रा के नाम आवंटन का नोट अंकित है। चूंकि उक्त नोट किसी भी नामांतरकरण से दर्ज नहीं है वरन सीधे ही अंकन किया गया है। इस कारण राजस्व कर्मचारियों व बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069–2072 से भी प्रमाणित है, जिसमें कि खाता संख्या 6901 रकबा 0.30 काबिल काश्त सिवायचक दर्ज है। वर्तमान अपीलांट उक्त आराजीयात पर एक अतिक्रमी की हैसियत से उक्त भूमि पर काबिज है। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श संख्या 9 से होती है। जिसके अनुसार वर्तमान अपीलांट को तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस भी दिए गए है। वादीगण ने कब्जे के प्रमाण के लिए खसरा गिरदावरी संवत 2031 से 2034 व 2055 से 2058 ही पेश की है जिसमें वादीगण के पूर्वजों का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से ही है। चूंकि वादीगण अथवा उनके पूर्वजो का कब्जा कभी भी विवादित आराजीयात पर नियमित रूप से लगातार नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है व विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी स्थिति में एक अतिक्रमी को खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। वर्तमान में उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। अपीलांट मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत से न्यायालया हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुए है व अपीलांट को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलबध साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 137/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/5/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

मानसिंह पुत्र स्व0 श्री कालूराम जाति रेगर निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर व अन्य।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।

(अपील संख्या 100/2025 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद मुबर्खे 13 माह 01 सन् 2025 प्रकरण संख्या 137/2021 बउनवानी मानसिंह वगैरह बनाम सरकार)

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, राज0 काश्त0 अधि.सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

यह अपील ब तारीख 30 माह 05 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री गौतमचंद टांक अभिभाषक अपीलांट, श्री विकास पाराशर राजयकी अधिवक्ता, रेस्पो संख्या 01,समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः–अपील अपीलांटस खारीज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 137/2021 पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2025 को यथावत् रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –, रूपये– –, अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

बस्वत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 30 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी मोहर अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलाट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोट–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

Scanned with CamScanner